निगरानी 462-III-15

(26)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल सार्किल कोर्ट रीवा (म0प्र0)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 40/-

31/30.1.15

चन्द्रभूषण प्रसाद चौबे तनय रामसुन्दर चौबे निवासी पूर्वी तीन तहसील त्योंथर जिला रीवा म0प्र0 — —आवेदक

बनाम

बुटन नाथ तनय हीरालाल चोबे निवासी पुर्वातीर तह0 त्योथर जिला रीवा म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री सूर्यनाथ पाण्डेय एड0 के द्वारा आज दिनांक 30-1-15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

आवेदन पत्र अन्तर्गत 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :—

क्रमांक 4545 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्रेषित
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1— यह कि आवेदक ने तहसीलदार त्योथर जिला रीवा म0प्र0 कि न्यायालय में सीमांकन हेतु आवेदन भूमि क0 169 रकवा 0.40 ए0 के संबंध में प्रस्तुत किया जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर गांव के व्यक्तियों एवं आवेदक एवं अनावेदक के उपस्थित में सीमांकन कार्यवाही की गई जिस पर अनावेदक भूमि का 15X60 वर्गफिट पर कब्जा किए गया है और उक्त सीमांकन को तहसीलदार द्वारा पुष्टि की गई और उक्त सीमांकन आदेश कि कोई निगरानी अनावेदक द्वारा नहीं किया जिस कारण से उक्त सीमांकन अन्तिम हो चुका है आवेदक ने उक्त सीमांकन के आधार पर अनावेदक के विरूद्व तहसीलदार तहसील त्योंथर कि न्यायालय में धारा 250 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 के तहत बेदखली हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अनावेदक ने व्यवहार वाद का हवाला दिया कि आवेदक ने व्यवहार वाद दायर किया था जो निरस्त हुआ और अपील भी निरस्त हुई लेकिन उक्त व्यवहार वाद में बगैर सीमांकन के नजरी नक्शा के मुताबिक दावा दायर किया गया था जिस पर आवेदक ने उक्त भूमि का सीमांकन कराया गया और अनावेदक कि बेदखलीय चाही गई है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवहार वाद का हवाला देकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :—

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं प्रकिया के विरूद्व निर्णय देने में भूल किया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक निग. -462–तीन–.2015 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश चन्द्रभूषण / बुटननाथ	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–3.–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री सूर्यनाथ पाण्डेय को सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया । निगरानी मेमो का अवलोकन करने पर पाया गया कि निगरानी मेमों में यह कही भी अंकित नहीं है कि यह निगरानी किस अधिकारी के आदेश के विरूद्ध एवं किस आदेश दिनांक के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में विचारोपरांत पृथमदृष्ट्या प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि.हो। (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	